## <u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—908 / 11</u> संस्थित दिनांक—24.11.2011 फाईलिंग क.234503000022011

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट – – – – – – – **अभियोज**न

-// <u>विरूद</u> //-

गोलू भगत पिता ईश्वरदयाल भगत, उम्र—35 वर्ष, निवासी—ग्राम पौनी, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ <u>आरोपी</u>

## -/// <u>निर्णय</u> ///-(आज दिनांक-04/05/2016 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा—325 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक—23.09.2011 को दोपहर 3:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम पौनी में आहत रंजीतिसंह को लकड़ी से बांए पैर में घुटने के नीचे मारकर फिबुला अस्थि में अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित किया।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—04.11.11 को फरियादी रंजीतिसंह ने थाना मलाजखण्ड में मौखिक रिपोर्ट की कि दिनांक—29.09.2011 को 3:00 बजे ग्राम पौनी में वह अपने ट्रक को सुधरवा रहा था, उसी समय आरोपी गोलू अपने वाहन से आ रहा था और बैल से टकराकर गिर गया था। आरोपी गोलू ने यह कहकर विवाद किया कि वह ट्रक से टकरा गया है और फरियादी के साथ गाली—गलौज की तथा लकड़ी से मारकर उसके बांए पैर में चोट पहुंचाई, जिससे उसे सूजन आ गई। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—83/11, धारा—325 भा.द.वि. अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के बयान लिये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत उसके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरूद्ध धारा—325 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किये जाने पर आरोपी के द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूटा फंसाया होना बताया गया। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

## 4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 23.09.2011 को दोपहर 3:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम पौनी में आहत रंजीतिसिंह को लकड़ी से बांए पैर में घुटने के नीचे मारकर फिबुला अस्थि में अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित किया ?

## विचारणीय बिन्दू पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत रंजीतिसंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग 3—4 माह पूर्व ग्राम पौनी में असलम की दुकान के पास की है। उसकी गाड़ी असलम की दुकान के पास खड़ी थी और वह पास की ही दूसरी दुकान में बैठा हुआ था। उसे फोन से सूचना मिली की आरोपी गोलू भगत पत्थर मार रहा है और ट्रक से डीजल निकालकर आग लगाने की बात कर रहा है। आरोपी ने उसे बांए पैर में डण्डे से घुटने के नीचे मारा, जिससे उसका पैर फेक्चर हो गया था, जिसका चिकित्सीय परीक्षण मोहगांव में हुआ था और एक्सरे बैहर में हुआ था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी और उसके समक्ष घटनास्थल का मोकानक्शा प्रदर्श पी—1 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने घटना के रिपोर्ट घटना के दिन ही थाने में दर्ज कराई थी। उसने यह भी कहा है कि वह घटना के दो घंटे बाद ही थाने पहुंच गया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट नहीं की।

- 6— अन्नाजी (अ.सा.2) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके बयान देने के दो—तीन माह पूर्व ग्राम पौनी की है। वह अपनी मोटरसाइकिल में बोरी लेकर आ रहा था, तभी बैल आ जाने से वह गिर गया एवं आरोपी को चोट लगी थी। मौके पर एक ट्रक खड़ा था, ट्रक वाले से उसकी बातचीत हुई थी, इसके अतिरिक्त उसे अन्य कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना के पश्चात् फरियादी रंजित तथा आरोपी अपने—अपने घर चले गए थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी को हाथ में चोट लगी थी तथा फरियादी रंजित पैदल वहां से चला गया था।
- 7— असलम खान (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग 4 माह पूर्व की है। ग्राम पौनी में उसकी दुकान के सामने एक ट्रक खड़ा था और आरोपी अपनी मोटरसाईकिल से आ रहा था, उसी समय एक बैल दौड़ता हुआ आया, जिससे आरोपी मोटरसाईकिल से असंतुलित होकर गिर गया और उसे हाथ में चोट आई थी। सामने खड़े ट्रक के मालिक रंजीत से आरोपी की बातचीत हुई थी। इसके अलावा कोई घटना नहीं हुई थी। रंजीत और आरोपी बातचीत कर अपने—अपने घर चले गए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना उसकी दुकान के ठीक सामने हुई थी, इसलिए उसे घटना की पूरी जानकारी है। साक्षी ने कहा है कि आरोपी के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए उसने आरोपी के हाथ में दवा लगाई थी। साक्षी ने कहा है कि घटना के बाद फरियादी रंजीत अपने घर चला गया था।
- 8— प्रधान आरक्षक रामिकशोर (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—04.11.11 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को विवेचना हेतु अपराध क्रमांक—83/11, धारा—325 मा.द.वि. की डायरी प्राप्त होने पर प्रार्थी रंजीतिसिंह की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी—1 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को प्रार्थी रंजीतिसिंह के बयान उसके बताए अनुसार लेख किये थे। दिनांक—09.11.11 को आरोपी गोलू भगत से एक बांस का डण्डा जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी गोलू भगत को

साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना का मौकानक्शा तैयार किया था, परंतु किसी भी साक्षी के उस पर हस्ताक्षर नहीं कराए थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही अपने मन से आरोपी को झूठा फंसाने के लिए की थी।

डॉ. एल.एन.एस. उइके (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-24.09.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड के आरक्षक रविकान्त द्वारा आहत रंजित को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया, जिसका परीक्षण किये जाने पर उसने आहत के बांए पैर की पिंडली के पीछे भाग की मांसपेशी में एक कंटूजन जो अनियमित आकार का था और उसमें सूजन थी, पाया था। उसके अभिमत में उक्त चोट किसी बोथरी व कड़ी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। साक्षी ने आहत को एक्सरे विशेषज्ञ एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराए जाने की सलाह दी थी। उक्त घटना उसके परीक्षण से 12 से 24 घंटे के अंदर घटित होना प्रतीत हो रही थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि पैर में गंभीर अस्थिभंग हो तो आहत चल नहीं सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब आहत रंजित परीक्षण हेतु आया था, तब वह सामान्य रूप से चलते हुए आया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत रंजीत ने चोटग्रस्त स्थान पर दर्द नहीं बताया, इसलिए उसने अपनी रिपोर्ट में दर्द होना नहीं लेख किया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि अस्थिमंग हो तो अस्थिमंग वाले स्थान पर व्यक्ति को तेज दर्द होता है।

10— डॉ. आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—13.10.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत रंजीत सिंह की एक्सरे रिपोर्ट परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने आहत के बांए पैर के फिबुला हड्डी अस्थिमंग होना पाया था, जिस पर कोई कैलस नहीं जमा था। उसके द्वारा तैयार एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्सरे प्लेट क्रमांक—700 है, जो

आर्टिकल ए—1 है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आहत का परीक्षण नहीं किया। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि एक्सरे प्लेट पर लगी पर्ची के आधार पर उसने आहत का नाम रंजीत बताया है।

प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 का अपराध किये जाने का अभियोग है। साक्षी रंजीतसिंह (अ.सा.1) ने यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे डण्डे से बांए पैर के घुटने पर मारा था, जिससे उसे अस्थिभंग हुआ था। मौके पर उपस्थित साक्षी अन्नाजी (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को आरोपी को चोट लगी थी और आरोपी की ट्रक मालिक से बातचीत हुई थी। उल्लेखनीय है कि ट्रक मालिक फरियादी रंजीत है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि बातचीत खत्म होने के बाद फरियादी रंजीत और आरोपी अपने—अपने घर चले गए थे। अभियोजन साक्षी अन्नाजी (अ.सा.२) मौके पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षी है एवं उसका यह कहना है कि फरियादी एवं आरोपी के बीच बातचीत हुई थी और वे अपने-अपने घर चले गए थे। आरोपी द्वारा फरियादी से लकडी के डण्डे से मारपीट किया जाना उपरोक्त चक्षुदर्शी साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट नहीं किया है। इसी प्रकार साक्षी असलम खान (अ.सा.3) ने भी यह कहा है कि घटना के बाद फरियादी रंजीत और आरोपी आपसी बातचीत के बाद अपने-अपने घर चले गए थे। इस प्रकार मौके पर उपस्थित दोनों चक्षुदर्शी साक्षी अन्नाजी (अ.सा.2) तथा असलम खान (अ.सा.3) ने आरोपी द्वारा फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट किया जाना नहीं बताया है। साक्षी रामकिशोर (अ.सा.4) ने स्वयं द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है, परन्तु वह मौके पर उपस्थित नहीं था। चिकित्सक साक्षी डॉ. एन.एस. उइके (अ.सा.५) तथा डॉ. आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.६) ने स्वंय द्वारा प्रस्तुत की गई चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 तथा 5 को प्रमाणित किया है। साक्षी उइके (अ.सा.5) ने दिनांक-24.09.11 को आहत रंजीत को बांए पैर की पिण्डली के पास कड़ी एवं बोथरी वस्तु से चोट आना पाया था। जबिक चिकित्सक साक्षी आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.६) ने चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 को प्रमाणित कर यह कहा है कि दिनांक-13.10.2011 को उसने आहत रंजीत की एक्सरे प्लेट, आर्टिकल ए का परीक्षण कर आहत रंजीत को अस्थिभंग होने का अभिमत दिया है। उपरोक्त दोनों चिकित्सीय रिपोर्ट के बीच लगभग 20 दिवस का समय अंतर है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है

कि एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए, घटना होने के युक्तियुक्त समय के बीच ली गई, इसलिए चिकित्सीय रिपोर्ट भी पूर्णतः प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। उपरोक्त समस्त आधारों पर आरोपी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त 12-संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत रंजीतसिंह को लकड़ी से बांए पैर में घुटने के नीचे मारकर फिबुला अस्थि में अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। अतः आरोपी गोलू भगत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की 13-धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। उक्त के 14-संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- प्रकरण में जप्तश्रदा एक बांस डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् 15-विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व STITUTE STATE OF STAT दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

बैहर. दिनांक-04.05.2016